फर्द अहकाम

धोद्धराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 180/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मिसल शामिल मिसल किया जाकर। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 10/10/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	10/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पत्रावली आदेश के लिये प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस को मनन किया गया अतः प्रार्थी का प्र० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल. आर. एक्ट की स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाकर। निर्णय सुनाकर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(72)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
180/2021	30/11/2021	10/10/2024

1. छोटूराम पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय उम्र 49 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थी

<u>उपस्थित अभिभावक</u>
श्री रामकरण शर्मा :— वकील प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज</u>

<u>नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के माता की तन्हा खातेदारी भूमि वाके ग्राम सानकोटडा पटवार हल्का सानकोटडा तहसील जमवारामगए जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 107मि. रकबा 0.9600है0 भूमि है जिसको अवधि बंदोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 में परिवर्तित हाल खसरा नम्बर 150 रकबा 0.9600है0 कायम किये गये है। प्रार्थी की माता लक्ष्मा फौत हो चुकी है जिसके प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व बहिन कानूनी वारिस है जिनके नाम अभी विरासत का नामान्तकरण नही खुला है तथा उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी के भाई व बहिनों के खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडेगा तथा कॉमन काज ऑफ एक्शन अराइज होने से उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 107मि. रकबा 0.9600है0 भूमि तरमीम शुदा खातेदारी भूमि रही है जिसके नये खसरा नम्बर 150 रकबा 0.9600है0 का नये सेटलमेंट सर्वे में गलत नक्शा कायम किया गया है जो मौके पर कब्जे व पूर्व तरमीम अनुसार नही है, ना ही वास्तविक स्थिति के अनुरूप है। प्रार्थी की भूमि का जो नया नक्शा बनाया गया है उस नक्शें में पूर्व तरमीम शुदा भूमि को पूर्व नक्शें से कम कर अप्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 152 जो कि गै0मु0रास्ता एवं हाल खसरा नम्बर 71/644 जो कि चरागाह है के नक्शें की स्थिति को परिवर्तित कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि की सीमाओं में दर्ज कर दिया है तथा प्रार्थी की खातेदारी का हाल नक्शा संकुचित कर दिया गया है जिसको संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित किया गया है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गत नक्शा तरमीम को संकुचित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ता व चरागाह की तरमीम की गई है जो दुरूस्तनीय है। पूर्व स्थिति को नक्शे में हाल खसरा नम्बर 152 व 71/644 की भूमि को प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी पूर्व से तरमीम शुदा भूमि के नक्शें में सम्मिलित कर दिया जिससे प्रार्थी की खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 152 व 71/644 के नक्शें की सीमाओं में सम्मिलित कर दिये गये और प्रार्थी की भूमि के पूर्व नक्शे से हाल नक्शा संकुचित कर दिया है जो पूर्व नक्शा व हाल नक्शा दोनों का मिलान करने पर दोनों भिन्न है जबकि प्रार्थी पूर्व तरमीम अनुसार काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार हाल भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये सर्वे में गलत तरमीम कर दी गई है जबकि भू प्रबंध कर्मचारियों को पूर्व तरमीम शुदा खातेदारी की नई तरमीम करने का कोई अधिकार नही है। हाल ही में हुये नवीन सर्वे सेटलमेंट संवत 2061—62 के तहत सेटलमेंट कर्मचारियो ने प्रार्थी की तरमीम शुदा संयुक्त खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 107मि. के हाल खसरा नम्बर 150 की तरमीम करते वक्त पूर्व तरमीम को देखें बिना वास्तविक कब्जे के विपरित अव्यवहारिक तरीके से खसरा नम्बर 152 व 71/644 का नक्शा गलत तरमीम कर कायम कर दिया गया है जो असवैधानिक व निरस्तनीय है तथा प्रार्थी की भूमि की तरमीम पूर्व नक्शें में तरमीम दर्ज थी अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 152 व 71/644 की नक्शा तरमीम भी पूर्व से कायम थी जिसको हाल नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई, पूर्व नक्शें के भाग को नजरी नक्शें में पीले रंग

उपखण्ड अधिक[ारी]
जमवारामगढ़

से दर्शित किया गया है उस भाग को हाल नक्शे मे कम किया गया है जो अवैध है, प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्व प्रभाव शुन्य है। उक्त गलत तरमीम से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार बाधित हो रहे है, इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गलत तरमीम को गैरविधिक तरीके से हाल सर्वे में गलत तरमीम की गई है जिस दुरूस्त किया जावें। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 150 का हाल नक्शा करीब 0.38है0 कम तरमीम कर दिया गया जबकि प्रार्थी की खातेदारी का साबिक नक्शा पूर्ण तरमीम था एवं प्रार्थी की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.9600है0 है जिसके नक्शें की नपति करने पर लगभग 0.5800है0 भूमि ही आती है जबकि प्रार्थी 09600है0 भूमि पर काबिज है इसलिये प्रार्थी की खातेदारी का हाल नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं कानूनन आवश्यक है। उक्त प्रकार से प्रार्थी की भूमि का जो नवीन नक्शा बनाया गया है, नक्शा तरमीमों व वास्तविक कब्जे से भिन्न कर नक्शा बनाया गया है, नक्शा तरमीमों व वास्तविक कब्जे से भिन्न कर नक्शा संकुचित कर दिया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 150 की नक्शा तरममी पूर्व खसरा नम्बर 107 जो प्रार्थी की खातेदारी की तरमीम शुदा लटठा नक्शा में दर्ज है के अनुरूप कायम नही की गई और प्रार्थी की पूर्व तरमीम को संकुचित कर खसरा नम्बर 152 व 71/644 की नक्शा तरमीम प्रार्थी की भूमि में सम्मिलित कर दी गई है जबकि पूर्व तरमीम से भिन्न तरमीम करने का राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार नही था इसलिये हाल नक्शा तरमीम 150 व 152, 71/644 की नक्शा तरमीम पूर्व खसरा नम्बर 107मि. 109 के नक्शें अनुरूप हाल नक्शा तरमीम दुरूस्त की जावें। प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 107मि. जिसके नवीन खसरा नम्बर 107 के नक्शें अनुसार नवीन नक्शा कायम कर हाल खसरा नम्बर 152 व 71/644 के नक्शा तरमीम को प्रार्थी की पूर्व तरमीमशुदा भूमि में सम्मिलित की गई का नक्शा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/475 दिनांक 17.05.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2008 में खसरा नम्बर 337 प्रार्थी के पूर्वजो के नाम सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 15 बिस्वा में 1/2 हिस्सा दर्ज था। एकीकरण मे गत खसरा नम्बर 337 रकबा 3 बीघा खसरा नम्बर 338 रकबा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 107 रकबा 10 बिस्वा मि. से हाल खसरा नम्बर 1079 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कायम किया गया अर्थात खसरा नम्बर 338 रकबा 15 बिस्वा में 1/2 हिस्सा रकबा 7 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी में ही कायम किया गया था। एवं प्रार्थी भी खातेदारी के पश्चिम के तरफ सेटलमेंट 2008 का खसरा नम्बर 339 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं एकीकरण मे कायम खसरा नम्बर 109 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज किया गया। वर्तमान सेटमलेंट में गत सेटलमेंट संवत 2008 के खसरा नम्बर 339 गै0मु0रास्ता तरमीम को गलत रूप से प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 150 के दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम को गलत रूप से प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 150 के दक्षिण दिशा की तरफ कर दी गई है जबकि उक्त रकबा संवत 2008 से ही प्रार्थी के पूर्वजो की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 152 गै0मु0रास्ता की तरमीम जो प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 338 की जगह कर दी गई। वह पूर्व की भांती दुरूस्त कर प्रार्थी के खसरा नम्बर 150 में शामिल किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 152 गै0मु0रास्ता का रकबा 0.30है0 है जबकि तरमीम में लगभग 0.65है0 कायम किया गया है दुरूस्ती पश्चात भी खसरा नम्बर 152 गै0मु0रास्ता की तरमीम नक्शें में लगभग 0.50है0 दोष रहती है। अतः प्रार्थी का नक्शा गत नक्शा के मुताबिक दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम सानकोटंडा में स्थित उक्त वादांकित भूमि खसरा नम्बर 107मि. नवीन खसरा नम्बर 150 के नवीन नक्शें की तरमीम को पूर्व खसरा नम्बर 107 के नक्शे अनुसार नवीन नक्शा कायम कर हाल खसरा नम्ब 152 व 71/644 के नक्शा तरमीम को प्रार्थी की पूर्व तरमीमशुदा भूमि में सम्मलित की गई का नक्शा दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी